

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)



अपील संख्या	रजि० नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/29/2021	2021/38	10.03.2021	15.07.2021

01- राजु पुत्र धोताली जाति मेव निवासी ग्राम मांदला कला तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
—अपीलांत

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।
—रैस्पौ०

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक
15.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम प्रकरण
संख्या 275/2017

उपस्थित:-

01-श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णय:-

अपीलांत ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 15.03.2017 जिसके द्वारा अपीलांत को ग्राम मांदला कला की सरकारी बंजड प्रथम व बारानी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 0.02 है०, 143 रकबा 0.05, 144 रकबा 0.11, 145 रकबा 0.18, 149 रकबा 0.19 कुल रकबा 0.55 है० में से 0.35 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर रैस्पौ० को जर्गे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मांदला कला की सरकारी बंजड प्रथम व बारानी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 0.02 है०, 143 रकबा 0.05, 144 रकबा 0.11, 145 रकबा 0.18, 149 रकबा 0.19 कुल रकबा 0.55 है० में से 0.35 है० पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 07.02.2017 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांत को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांत को बेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2017 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 10.03.2021 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलांत द्वारा पेश अपील प्रार्थना-पत्र का भी—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.


(2)

अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2021 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित तीन माह की सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है तथा तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलांट का वर्तमान में अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलांट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है तो अपीलांट के विरुद्ध धारा 91(6) के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)